

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया जिला - भीलवाडा (राज.)

२०२५/३७

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना-पत्र	17/25	17/2/25		10/3/25 17/3/25 24/3/25
	17/2/25			

अनवान

श्री मोहनी देवी पत्नी नानाबाल

श्री पुष्पा देवी पत्नी केशव

निवासी विजौलिया खुर्द

निवासी विजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेषपो

डिक्रीदार

मदयून

श्री P.K.D.

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

Crim I

जन अदालत उपखण्ड अधिकारी नाम जोष्टी

मकान पुष्पा विजौलियां, भीलवाड़ा

क्रिम नंबर 111-128

प्रकरण संख्या 17 रान 2025

संशोधन
द्वारा

इसमें या कार्यवाही पर इनिशियल जना

नम्बर व
तारीख
अहकम जी
इस हुकम की
तामील में
जायी हुए

17 2
2025

प्रार्थना-पत्र सीमे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्राणी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयों की तलवी जरिये सामान मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीयों को भेजी जावे। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 10 / 3 / 2025 को वारते तलवी/जवाब पेश हो।

3
उपखण्ड अधिकारी
विजौलियां

10/2/25 पत्रावली पेश क गदी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली
दिनांक 17/2/25 को वास्तु 37 पेश हो।

3
उपखण्ड अधिकारी

17/3/25 पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक गदी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली
दिनांक 24/3/25 को वास्तु 87 पेश हो।

3
उपखण्ड अधिकारी

24/3/25 पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीयों की बाद
तामील जाफ़ हुई, जिते शामिल पत्रावली किया गया।
विपक्षी बाद प्रचना अनुपासित रहे। विपक्षीयों के
उबार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपासित नही
हुआ। पत्रावली में विपक्षीयों के विरुद्ध एक पक्षीय
आदेश पारित किए गए। आदेश के पालनार्थ तलवी/जवाब
विजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुगर
दोरे, नम्बर से कम होकर शामिल दफ़्तरे।



3
उपखण्ड अधिकारी
विजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज०)

संख्या - 17 / 25

तारीख दायर 17/2/25

मोहनी देवी पत्नि नानालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी
बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज०

.....प्रार्थीया

बनाम्

1. पुष्पादेवी पत्नि कैलाश जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज०।
2. ओमप्रकाश पुत्र धर्मचन्द जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज०।
3. कैलाश चन्द्र पुत्र धर्मचन्द जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज०।
4. केसरदेवी पत्नि पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज०।
5. ललित कुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज०।
6. ऊंकार पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज०।
7. रोहित कुमार पुत्र सुगनलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी छतरीखेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज०।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा०ले०रे०एक्ट

—: आदेश :—

दिनांक 24/2/25

प्रार्थना पत्र पन्नीदेवी ने जरिये अभिभाषक श्री पंकज धाकड डवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि गौजा ग्राम बिजौलिया खूर्द प०ह० बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलियाँ की परहद में खाता संख्या 776 पर अंकित आराजी संख्या 1777/179 रकबा 1.0765 ३० भूमि, खाता संख्या 777 पर अंकित आराजी संख्या 1768/179 रकबा 0.1700 ३० भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।



3

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया खूर्द को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी कमिश्नर फीस /- रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बिजौलिया खूर्द प0ह0 बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 776 पर अंकित आराजी संख्या 1777/179 रकबा 1.0765 हे0 भूमि, खाता संख्या 777 पर अंकित आराजी संख्या 1768/179 रकबा 0.1700 हे0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

3
उपखण्ड/अधिकारी
बिजौलियाँ

